

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**

संख्या-07 / स्था0-28-58 / 2023, परि0

पटना, दिनांक-

**आदेश**

श्री आजाद कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुरा के विरुद्ध श्री अजय कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा परिवाद/शिकायत समर्पित किया गया, जिसमें ट्रक व ट्रैक्टर को अनावश्यक रूप से पकड़ने, गलत ढंग से चालान काटने एवं अवैध वसूली का आरोप लगाया गया।

उपरोक्त आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्र सं0-4435, दिनांक-29.05.2025 के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा उक्त मामले में निदेशक, NEP, DRDA, Madhepura से जाँच कराया गया। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्र सं0-42, दिनांक-06.01.2026 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप को निराधार बताया गया है।

परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद/शिकायत पत्र एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार श्री आजाद कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुरा के विरुद्ध श्री अजय कुमार यादव एवं अन्य द्वारा समर्पित परिवाद/शिकायत प्रकरण को **चेतावनी के साथ संचिकास्त** किया जाता है।

ह0/-


अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 13/03/2026

ज्ञापांक- 1935

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा/श्री आजाद कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुरा/आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

संख्या-07/स्था0-28-58/2023, परि0 1935


पटना, दिनांक- 13/03/2024

आदेश

श्री आजाद कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुरा के विरुद्ध श्री अजय कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा परिवाद/शिकायत समर्पित किया गया, जिसमें ट्रक व ट्रैक्टर को अनावश्यक रूप से पकड़ने, गलत ढंग से चालान काटने एवं अवैध वसूली का आरोप लगाया गया।

उपरोक्त आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्र सं0-4435, दिनांक-29.05.2025 के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा उक्त मामले में निदेशक, NEP, DRDA, Madhepura से जाँच कराया गया। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्र सं0-42, दिनांक-06.01.2026 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप को निराधार बताया गया है।

परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद/शिकायत पत्र एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार श्री आजाद कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुरा के विरुद्ध श्री अजय कुमार यादव एवं अन्य द्वारा समर्पित परिवाद/शिकायत प्रकरण को चेतावनी के साथ संचिकास्त किया जाता है।

  
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।